Current Affair (04 January, 2022)

(1) नगालैंड में अफस्पा का विस्तार

चर्चा में क्यों?

कोन्याक संगठनों की संरक्षक संस्था 'कोन्याक सिविल सोसाइटी संगठन ' ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 (AFSPA) के विस्तार की निंदा की है।

नगालैंड में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 को 30 दिसंबर 2021 से छह महीने के लिये बढ़ा दिया गया है।

कोन्याक

परिचय:

नगालैंड में कोन्याक जनजाति एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामी के बाद सबसे बड़ी जनजाति है।

अन्य नागा जनजातियों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खिमनुंगम, यिमचुंगरे, जेलियांग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।

माना जाता है कि 'कोन्याक' शब्द 'व्हाओ' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सिर' और 'न्याक' का अर्थ है 'काला'। इसका अनुवाद 'काले बालों वाला पुरुष' है।

उन्हें दो समूहों में बाँटा जा सकता है- 'थेंडु', जिसका अर्थ है 'टैटू वाला चेहरा' और 'थेंथो', जिसका अर्थ है 'सफेद चेहरा'।

परिवेश:

यह जनजाति ज्यादातर मोन ज़िले में निवास करती है , जिन्हें 'द लैंड ऑफ द एंग्स' के नाम से भी जाना जाता है , वे अरुणाचल प्रदेश, असम और म्याँमार के कुछ ज़िलों में भी पाए जाते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में उन्हें वांचो के रूप में जाना जाता है ('वांचो' 'कोन्याक' का पर्यायवाची शब्द है)।

जातीय, सांस्कृतिक और भाषायी रूप से एक ही पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के नोक्टेस और तांगसा भी कोन्याक से निकटता से संबंधित हैं।

मनाए जाने वाले त्योहार :

तीन सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार एओलिंगमोन्यु, एओनिमो और लाउन-ओंगमो हैं।

एओलिंगमोन्यु अप्रैल के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसका धार्मिक महत्त्व समृद्ध फसल के लिये भगवान को प्रसन्न करना है।

पहली फसल जैसे- मक्का और सब्जियों की कटाई के बाद जुलाई या अगस्त में एओनिमो मनाया जाता है।

लाउन-ओंगमो एक धन्यवाद देने वाला त्योहार है और सभी कृषि गतिविधियों के पूरा होने के बाद मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958:

पृष्ठभूमि:

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिये बनाए गए ब्रिटिश-युग के कानून का पुनर्जन्म , AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था।

अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी.बी. पंत द्वारा प्रभावी किया गया था।

इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकूलित किया गया था।

परिचय:

AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने तथा अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ निरंकुश शक्तियाँ देता है।

नगा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिये कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ, उसके बाद असम में विद्रोह हुआ।

अशांत क्षेत्र:

1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई।

वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का विस्तार करने हेतु समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।

मणिपुर और असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।

त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया और मेघालय में 27 वर्षों से AFSPA लागू था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल, 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया।

यह अधिनियम असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू किया गया था।

जम्मू और कश्मीर में एक अलग जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1990 है।

<u>अधिनियम को लेकर विवाद</u>:

मानवाधिकारों का उल्लंघन:

कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मियों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु का कारण बनने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यदि वे आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

यह सैनिकों को बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।

सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़ों और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं , जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनिश्चितकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।

जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:

नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:

AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिये और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम , 1967 में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये

सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने हेतु गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक ज़िले में जहां सशस्त्र बल तैनात हैं, शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।

दूसरी ARC की सिफारिशें: सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार:

वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

केंद्र सरकार द्वारा स्व-प्रेरणा से घोषणा की जा सकती है , हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिये;

घोषणा एक सीमित अवधि के लिये होनी चाहिये और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है;

अफस्पा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय , प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिये ।

आगे की राह

वर्षों से हुई कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधिनियम की यथास्थिति अब स्वीकार्य समाधान नहीं है।
AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहां इसे लागू किया गया है इसलिये सरकार को प्रभावित लोगों को संबोधित करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।
सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर अफ्सपा को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिये और पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय इसे केवल कुछ सवेदनशील ज़िलों तक सीमित करना चाहिये।
सरकार और सुरक्षा बलों को सर्वोच्च न्यायालय, जीवन रेड्डी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी पालन करना चाहिये।

(2) <u>रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन</u>

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया है।

<u>प्रमुख बिंदु</u>

परिचय:

DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है।
आत्मनिर्भरता और सफल स्वदेशी विकास एवं सामरिक प्रणालियों तथा प्लेटफार्मों जैसे- अग्नि और पृथ्वी शृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज जैसे- हल्का लड़ाकू विमान , तेजस: बहु बैरल रॉकेट लान्चर , पिनाका: वायु रक्षा प्रणाली , आकाश: रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला आदि , ने भारत की सैन्य शक्ति को प्रभावशाली निरोध पैदा करने और महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में प्रमुख योगदान दिया है।

गठन:

DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation- DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment- TDEs) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।
DRDO वर्तमान में 50 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- वैमानिकी , शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाईफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

मिशन:

हमारी रक्षा सेवाओं के लिये अत्याधुनिक सेंसरों , हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों और संबद्ध उपकरणों के उत्पादन हेतु डिज़ाइन , विकास और नेतृत्व।
युद्ध की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने और सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
बुनियादी ढांचे और प्रतिबद्ध गुणवत्ता जनशक्ति का विकास करना तथा एक मज़बूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना।

<u>DRDO के विभिन्न कार्यक्रम</u>:

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

यह मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था।
IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग।

मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम:

MARS लैंड माइन्स और इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (Inert Explosive Devices- IEDs) को संभालने के लिये एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में मदद करता है।

कुछ ऐड-ऑन के साथ , इस प्रणाली का उपयोग वस्तु के लिये जमीन खोदने और विभिन्न तरीकों से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज़ करने के लिये भी किया जा सकता है।

लद्दाख में सबसे ऊंचा स्थलीय केंद्र:

लद्दाख में DRDO का केंद्र पैंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है , जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करना है।

<u>DRDO से संबंधित मुद्दे</u>:

अपर्याप्त बजटीय सहायता:

2016-17 के दौरान रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने DRDO की चल रही परियोजनाओं के लिये अपर्याप्त बजटीय समर्थन पर चिंता व्यक्त की।

समिति ने नोट किया कि कुल रक्षा बजट में से 2011-12 में DRDO की हिस्सेदारी 5.79% थी, जो 2013-14 में घटकर 5.34 फीसदी रह गई।

अपर्याप्त जनशक्ति:

DRDO भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के कारण सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से ग्रस्त है।

लागत में वृद्धि और देरी ने DRDO की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है।

बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन:

DRDO द्वारा बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन की स्थिति देखी गई है। जवाबदेही का अभाव है।

वर्ष 2011 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने DRDO की क्षमताओं पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाया , यह हवाला देते हुए कि संगठन का अपनी परियोजनाओं का एक इतिहास है जो स्थानिक समय और लागत से अधिक पीड़ित है।

अप्रचलित उपकरण:

DRDO अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है।

हाल ही के विकास:

एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम (ECWCS)।

'प्रलय'।

कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम।

पिनाका एक्सटेंडेड रेंज (पिनाका-ER) मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS)।

सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम (स्मार्ट)।

उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी।

आकाश-NG और एमपीएटीजीएम।

आगे की राह

फरवरी 2007 में एजेंसी की बाहरी समीक्षा के लिये पी. रामा राव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार DRDO को एक सबल संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिये।

समिति ने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी को कम करने के अलावा इसे लाभदायक इकाई बनाने के लिये संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा स्थापित करने की सिफारिश की।

DRDO के पूर्व प्रमुख वी.के. सारस्वत ने रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना के साथ-साथ एजेंसी द्वारा विकसित उत्पादों के लिये उत्पादन भागीदारों को चुनने में DRDO के लिये एक बड़ी भूमिका का आह्वान किया है।

यदि आवश्यक हो तो DRDO को शुरू से ही निजी क्षेत्र से एक सक्षम भागीदार कंपनी का चयन करने में सक्षम होना चाहिये।

अपने दस्तावेज़ "DRDO इन 2021: एचआर पर्सपेक्टिव्स" में, DRDO ने एक एचआर नीति की परिकल्पना की है जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडरता के साथ ज्ञान साझा करने , खुले वातावरण और सहभागी प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया है। यह सही दिशा में एक कदम है।

(3) भारत और मुक्त व्यापार समझौते

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु इजरायल के साथ वार्ता कर रहा है।

यह घोषणा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के साथ मेल खाती है।

प्रमुख बिंदु

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।

एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।

मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।

भारत तथा मुक्त व्यापार समझौते:

नवंबर 2019 में भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होने के बाद , 15 सदस्यीय FTA समूह जिसमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, भारत के लिये निष्क्रिय हो गया।

लेकिन मई 2021 में यह घोषणा हुई कि भारत-यूरोपीय संघ की वार्ता, जो 2013 से रुकी हुई थी, फिर से शुरू की जाएगी।

कार्य संबंधी इन विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिये दोनों पक्ष अब आंतरिक तैयारियों में लगे हुए हैं।

भारत के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात , यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ बातचीत की जा रही है।

यूएई के साथ यह समझौता 'अंतिम रूप देने के करीब' था जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए 'बहुत उन्नत चरण' में था।

भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौते:

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए)।

दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौता (SAPTA): यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये 1995 में लागू हुआ था।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा): यह मुक्त व्यापार समझौता , सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर , सामान तक ही सीमित है। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए):

बैंकाक समझौता, यह एक तरजीही टैरिफ व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत रियायतों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।

भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधी मुद्दे:

खराब विनिर्माण क्षेत्र: हाल की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% है।

जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे उन्नत और विकसित देशों के तुलनीय आँकड़े क्रमशः 19%, 11%, 25% और 21% हैं।

चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, रूस, ब्राज़ील जैसे उभरते और विकासशील देशों के लिये संबंधित आँकड़े क्रमशः 27%, 19%, 20%, 13%, 9% हैं तथा कम आय वाले देशों के लिये यह हिस्सा 8% है।

प्रतिकूल FTA's: पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) , कोरिया गणराज्य , जापान और मलेशिया के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए।

हालाँकि काफी हद तक यह माना जाता है कि भारत के व्यापार भागीदारों को भारत की तुलना में इन समझौतों से अधिक लाभ हुआ है।

संरक्षणवाद: आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ा दिया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

भारत-इज़रायल संबंध

ऐतिहासिक संबंध:

दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान शुरू हुआ।

1965 में इज़रायल ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को M-58 160-mm मोर्टार गोला बारूद की आपूर्ति की।

यह उन कुछ देशों में से एक था जिसने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की निंदा नहीं करने का फैसला किया था।

आर्थिक:

भारत एशिया में इज़राइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

दोनों देशों के बीच वर्तमान में 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है (अप्रैल 2020 - फरवरी 2021), एक ऐसा आंॅकड़ा जिसमें रक्षा व्यापार शामिल नहीं है जो बढ़ रहा है।

इजरायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा , नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

इज़रायल-भारत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) से पहले अनुदान प्राप्तकर्त्ता की घोषणा जुलाई 2018 में की गई थी , जिसमें कुशल जल उपयोग , संचार बुनियादी ढाँचे में सुधार , सौर ऊर्जा उपयोग के माध्यम से भारतीयों और इज़रायलियों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु काम करने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है।

इस फंड का उद्देश्य इज़रायली उद्यमियों को भारतीय बाज़ार में प्रवेश कराने में मदद करना है।

रक्षा:

इज़रायल लगभग दो दशकों से भारत के शीर्ष चार हथियार आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है , हर वर्ष लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य बिक्री होती है।

भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल किया है , इसमें फाल्कन AWACS (हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली) तथा हेरॉन, सर्चर-द्वितीय तथा हारोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों और स्पाइडर विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।

अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है , जिसमें 'पायथन' और 'डर्बी' हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर 'क्रिस्टल मैज़' तथा स्पाइस-2000 बम शामिल हैं।

भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में, दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस-वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं।

कृषि:

भारत और इज़रायल ने कृषि सहयोग में विकास के लिये "तीन वर्षीय कार्य योजना समझौते" पर हस्ताक्षर किये हैं।

कोविड-19 प्रतिक्रिया:

वर्ष 2020 में एक इज़रायली टीम बहु-आयामी मिशन के साथ भारत पहुँची , जिसका कोड नेम 'ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस' था, इसे कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने हेतु बनाया गया था।

आगे की राह

यह देखते हुए कि भारत किसी बड़े-व्यापार सौदे का पक्ष नहीं है , यह एक सकारात्मक व्यापार नीति एजेंडे का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होगा।

भारत के व्यापार नीति ढांचे को आर्थिक सुधारों द्वारा समर्थित होना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप यह एक खुली, प्रतिस्पर्द्धात्मक और तकनीकी रूप से नवीन भारतीय अर्थव्यवस्था हो।

राष्ट्रवाद, देशीवाद और संरक्षणवाद लोगों की इस भावना का फायदा उठाते हैं कि उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है और उन्हें व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है।

इसलिये हमें आर्थिक नेटवर्क में सार्वभौमिक समावेश सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और बेहतरी के अवसरों को प्राप्त करने की अनुमति देता है।

(4) <u>वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक</u>

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन से निपटने के लिये वित्तीय समाधान और जमा बीमा (FRDI) विधेयक के एक संशोधित संस्करण का मसौदा तैयार करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सुझाव मांगे हैं।

वर्ष 2018 में सरकार ने बैंक जमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच FRDI विधेयक 2017 को वापस ले लिया था।

<u>प्रमुख बिंदु</u>

पृष्ठभूमि:

FRDI विधेयक, 2017 वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन के मुद्दे को संबोधित करने के लिये था।

यदि कोई बैंक, एनबीएफसी, बीमा कंपनी, पेंशन फंड या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा संचालित म्यूचुअल फंड विफल हो जाता है, तो उस फर्म को बेचने , किसी अन्य फर्म के साथ विलय करने या इसे बंद करने के लिये यह एक त्वरित समाधान प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पेंशन फंड और स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों की विफलता के नतीजों को सीमित करना है।

केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद जमा की सुरक्षा को लेकर जनता के बीच चिंताओं के कारण विधेयक को वापस ले लिया गया था।

आलोचना का एक प्रमुख बिंदु विधेयक में तथाकथित 'बेल-इन क्लॉज़' था जिसमें कहा गया था कि बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्त्ताओं को अपने दावों में कमी करके समाधान की लागत का एक हिस्सा वहन करना होगा।

नए विधेयक के बारे में:

यह विधेयक एक समाधान प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करेगा, जिसके पास बैंकों, बीमा कंपनियों और व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय फर्मों के लिये त्वरित समाधान करने की शक्ति होगी।

कानून बैंक जमाकर्त्ताओं के लिये 5 लाख रुपए तक का बीमा भी प्रदान करेगा, जिनके पास पहले से ही कानूनी समर्थन है।

विधायी समर्थन की आवश्यकता:

यहाँ तक कि जब आरबीआई NBFC (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) के लिये एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा लेकर आया है, इसके विपरीत पूरे वित्तीय क्षेत्र के लिये एक विधायी समर्थन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

इनमें से कई भारत में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के आलोक में वर्तमान समाधान व्यवस्था विशेष रूप से निजी क्षेत्र की वित्तीय फर्मों के लिये अनुपयुक्त है।

वित्तीय फर्मों के समाधान के लिये एकल एजेंसी का प्रावधान वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC), 2011 द्वारा न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में की गई सिफारिशों के अनुरूप है।

FSLRC बिल के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता , 2021 ने रुग्ण वित्तीय क्षेत्र की फर्मों के समापन या पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता:

यह 2016 में अधिनियमित एक सुधार है। यह व्यावसायिक फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित विभिन्न कानूनों को समाहित करता है।

यह बैंकों जैसे लेनदारों की मदद करने , बकाया वसूलने और खराब ऋणों को रोकने के लिये स्पष्ट तथा तीव्र दिवालियेपन की कार्यवाही करता है, जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव है।

प्रमुख शब्द

दिवाला: यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति या कंपनियाँ अपना बकाया कर्ज चुकाने में असमर्थ होती हैं।

दिवालियापन: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के तहत न्यायालय ने किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है, इसे हल करने और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित आदेश पारित कर दिया है। यह कर्ज चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है।

(5) 'स्वास्थ्य सेवा खंड' हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव: IRDAI

चर्चा में क्यों?

अस्पतालों के लिये एक सामान्य टैरिफ संरचना विकसित करने के उद्देश्य से 'भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ' (IRDAI) ने 'स्वास्थ्य सेवा खंड' हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव रखा है अथवा इस क्षेत्र को अस्पतालों को स्वयं विनियमित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

यह देखा गया है कि वर्तमान में अस्पताल शुल्क की मुद्रास्फीति दर लगभग 10-15% है और नियमित आधार पर टैरिफ में बदलाव किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

अस्पतालों के वर्तमान टैरिफ फ्रेमवर्क से संबंधित मुद्दे

अलग-अलग टैरिफ:

अस्पताल नियमित आधार पर स्वयं टैरिफ बदलते रहते हैं। वर्तमान में टैरिफ संरचना और ग्रेडिंग पर उन्हें विनियमित करने हेतु कोई निकाय मौजूद नहीं है।

बीते वर्ष जब कोविड महामारी ने देश में प्रवेश किया था, तो कुछ अस्पतालों द्वारा मरीज़ों से अत्यधिक शुल्क लिया गया था।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसायों की लागत:

यदि बीमाकर्त्ता इसी प्रकार अस्पतालों की मांग को पूरा करना जारी रखते हैं और अत्यधिक भुगतान करते रहते हैं , तो स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय पर दीर्घावधि में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञात हो कि पहले से ही यह उद्योग बड़ी संख्या में दावों का सामना कर रहा है।

व्यक्तिगत 'हॉस्पिटल एम्पैनल्मेंट' प्रक्रिया

वर्तमान में स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और निजी बीमा के तहत व्यक्तिगत 'हॉस्पिटल एम्पैनल्मेंट' प्रक्रियाएँ शामिल हैं , जो विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं के दोहराव एवं अक्षमता में योगदान करती हैं।

अस्पतालों को विनियमित करने हेतु बुनियादी ढाँचे का अभाव:

IRDAI के पास वर्तमान में अस्पतालों को विनियमित करने हेतु किसी भी प्रकार का बुनियादी ढाँचा मौजूद नहीं है। चूँकि स्वास्थ्य सेवा राज्य का विषय है, इसलिये IRDAI के लिये अस्पतालों को विनियमित करना काफी कठिन हो जाता है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण एवं विकास हेतु संसद के एक अधिनियम- बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।

सिफारिशें

स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती पहुँच के साथ सामान्य और चिकित्सा मुद्रास्फीति कारकों को अलग करने की आवश्यकता है तथा यह देखते हुए कि चिकित्सा मुद्रास्फीति प्रायः 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ' मुद्रास्फीति से काफी अधिक होती है , मूल्य निर्धारण के दृष्टिकोण में सुधार की भी आवश्यकता है।

IRDAI ने बीमा कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे के मानकीकरण और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक कॉमन अस्पताल रजिस्ट्री, एम्पैनल्मेंट' प्रक्रिया, अस्पतालों की ग्रेडिंग और पैकेज लागत के बीच सामंजस्य का प्रस्ताव दिया है।

यह सिफारिश की गई है कि एक सामान्य पैनल पोर्टल स्थापित किया जाए, जिसका उपयोग सभी योजनाओं/बीमा कंपनियों द्वारा मानकीकृत पैनल मानदंड के लिये किया जा सकता है , जो सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान देने के साथ बेहद फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)

स्वास्थ्य देखभाल:

राजस्व और रोज़गार के मामले में स्वास्थ्य देखभाल भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। बढ़ती आबादी , बढ़ता आय स्तर, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि, जागरूकता में वृद्धि,बीमा पॉलिसियों और चिकित्सा पर्यटन तथा नैदानिक परीक्षणों के केंद्र के रूप में भारत के उदय ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

चूँकि इस क्षेत्र की ज़रूरतें बढ़ रही हैं , इसलिये आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा गरीबों को बिना किसी खर्चे के समय पर देखभाल से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता है।

स्वास्थ्य बीमा का महत्त्व:

स्वास्थ्य बीमा भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'आउट-ऑफ पॉकेट' (OOP) व्यय की व्यवस्था करने का एक तंत्र है।

यह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से पूर्व-भुगतान , जोखिम-पूलिंग और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के कारण होने वाले व्यापक व्यय से बचाव के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया है।

इसके अलावा प्री-पेड पूल फंड भी स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान की दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

<u>स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मुद्दे</u>:

जीवन की स्थिति असमान रूप से वितरित है:

स्वतंत्रता के बाद से लोगों की जीवन प्रत्याशा में 35 वर्ष से 65 वर्ष की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन जीवन की स्थिति देश के विभिन्न भागों में असमान रूप से वितरित है तथा भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ अभी भी बड़ी चिंता का कारण हैं।

कम सरकारी खर्च :

स्वास्थ्य पर कम सरकारी व्यय ने सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता को बाधित किया है।

यह अधिकांश व्यक्तियों- लगभग दो-तिहाई को महँगे निजी क्षेत्र में इलाज कराने को मज़बूर करता है।

स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा का अभाव:

कम-से-कम 30% आबादी या 40 करोड़ व्यक्तियों के पास स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा मौजूद नही है।

संबंधित सरकारी योजनाएँ:

'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ' (AB-PMJAY) यह माध्यमिक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।